

>

Title: Introduction of the Children of Pavement Dwellers and Sex Workers (Prevention of Abuse and Welfare Measures) Bill, 2019.

**श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर) :** माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शहरी क्षेत्रों के फुटपाथों पर रहने वाले माता-पिता और वेश्यावृत्ति क्षेत्रों में रहने वाले यौन कर्मियों के बालकों के लैंगिक शोषण सहित शोषण और दुरुपयोग के निवारण और उनके लिए विशेष देखरेख गृहों की स्थापना द्वारा ऐसे बच्चों के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों तथा व्यावसायिक शिक्षा और नियोजन और अन्य सुविधाओं का उपबंध करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**HON. CHAIRPERSON:** The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of exploitation and abuse including sexual abuse of children of parents living on pavements of urban areas and of sex workers languishing in red light areas and for welfare measures to be undertaken by the State for such children by establishing special care homes for them and making provisions for free education including vocational education and employment and other amenities and for matters connected therewith and incidental thereto.”

*The motion was adopted.*

**श्री गोपाल शेटी :** माननीय सभापति जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित\*\* करता हूँ।